

उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि०(उपनल)  
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)  
सब ऐरिया कैंटी परिसर गढी कैंट, देहरादून, उत्तराखण्ड

यह अनुबन्ध आज दिनांक \_\_\_\_\_ को, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि०(उपनल) प्रथम पक्ष एवं \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ द्वितीय पक्ष के बीच निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन किया जा रहा है।

1. यह नियुक्ति केवल अस्थायी है, तथा मेरी अस्थायी सेवा अवधि मुख्य नियोक्ता के आवश्यकतानुसार घटायी अथवा बढ़ाई जा सकती है। उक्त अवधि के समाप्त होते ही मेरी सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा उसके बाद उपनल मुझे नौकरी पर रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। यह स्पष्ट है कि मैं किसी भी प्रकार के स्थायीकरण का /की हकदार नहीं हूँगा/हूँगी।
2. मेरा वेतन एवं अवकाश की अवधि उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश/उत्तराखण्ड लेबर कमिश्नर/मुख्य नियोक्ता द्वारा स्वीकृत अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार होगा।
3. मेरा वेतन से ग्रुप पर्सनल इन्व्योरेंस/एक्स ग्रेशिया/मेडिकल बीमा, भविष्य निधि में अंशदान, सम्बन्धित जो लागू हो कि अर्न्तगत कटौती कर सम्बन्धी विभागों में जमा कराया जायेगा।
4. मैं नियुक्ति के दो सप्ताह के अन्दर पंजाब नेशनल बैंक /एस.बी.आई की किसी भी सी0बी0एस0 शाखा में अपना वेतन (सैलरी) बैंक खाता खुलवाऊंगा/खुलवाऊगी तथा खाते की एक छायाप्रति उपनल कार्यालय को उपलब्ध कराऊंगा/कराऊगी।
5. मैं मुख्य नियोक्ता के किसी भी कर्मचारी /अधिकारी के साथ किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत वित्तीय लेन देन नहीं करूंगा/करूगी और यदि मैं ऐसा करता हूँ/करती हूँ तो किसी भी प्रकार की क्षति पूर्ति के लिये उपनल जिम्मेदार नहीं होगा।
6. अस्थायी नियुक्ति के पश्चात् मैं चरित्र प्रमाण पत्र तथा पुलिस सत्यापन कर जिसकी अवधि 06 महीने से अधिक ना हो उपनल कार्यालय में प्रेषित करूँगा/करूँगी। मैं यह शपथ पत्र श्री उपनल कार्यालय में प्रेषित करूँगा/करूँगी कि मैं किसी भी अपराधिक /अवांछनीय मामले में संलिप्त नहीं हूँ।
7. इस अनुबंध के सम्बन्ध में उपनल के साथ यदि मेरा विवाद होता है तो उपनल के अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी का निर्णय अन्तिम समझा जायेगा जो कि मुझे मान्य होगा।
8. मैं यह नौकरी स्वेच्छा से कर रहा /रही हूँ, क्योंकि मुझे नौकरी की आवश्यकता है तथा जो भी मानदेय दिया जा रहा है वो मुझे मान्य है।
9. मैं अपनी ड्यूटी पूर्ण निष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से करूँगा/करूँगी तथा मुख्य नियोक्ता के विभागीय नियम एवं विनियमों का पालन करूँगा/करूँगी। ऐसा नहीं करने पर मेरी सेवा तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाये।
10. जब कभी भी मेरी सेवा समाप्त हो जाती है तथा मुख्य नियोक्ता द्वारा मेरी सेवा विस्तार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा दो सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध नवीनीकरण कर अविलम्ब उपनल कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।
11. मैं मुख्य नियोक्ता के कर्मचारी/अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी भी कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों को पूर्ण कर्तव्य के साथ पालन करूँगा मुख्य नियोक्ता के आदेशानुसार मेरी नियुक्ति विभागीय कार्यों हेतु जिले में कही भी की जा सकती है। जो मुझे मान्य होगा। यदि मेरी सेवा मुख्य नियोक्ता द्वारा उपयुक्त नहीं पायी गयी तथा प्रतिस्थानी की मांग पर उपनल द्वारा मेरे स्थान पर प्रतिस्थानी भेजा जायेगा जो कि मुझे मान्य होगा।
12. मेरा व्यवहार सौहार्दपूर्ण तथा समाज की मान्यताओं के अनुरूप होगा, यदि आप किसी गतिविधि में लिप्त है जो कि कानूनी तौर पर गलत हो या असभ्य हो तो मेरी अस्थायी सेवा तुरन्त समाप्त कर दी जाये।
13. यदि मेरी लापरवाही के कारण मुख्य नियोक्ता के कार्यालय /भवन/परिसर/जहां पर मुझे सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात किया गया हो, उस स्थान के अन्दर यदि कोई चोरी/नुकसान होता है तो उसके लिए मेरी जिम्मेदारी होगी तथा होगी तथा नुकसान की भरपाई मेरे द्वारा की जायेगी। एवं अन्दर व बाहर जाने वाले सामान को निरिक्षण उपरान्त लेखाजोखा रजिस्टर में दर्ज करूँगा।
14. मैं अपने सीनियर ऑफिसर /चीफ सिक्यूरिटी ऑफिसर /असिस्टेंट सिक्युरिटी ऑफिसर / असिस्टेंट कमाण्डेन्ट/सुपरवाइजर/गार्ड कमाण्ड की आज्ञा का पालन करूँगा।
15. मैं यह भी शर्त मंजूर करता हू कि मेरी वेतन भुगतान से 10 प्रतिशत वर्दी भत्ता मिलता है अतः मैं हमेशा ड्यूटी के दौरान साफ सुथरी वर्दी पहनुंगा। मेरा हेयर कट आर्मी के क्वार्टर गार्ड (सुरक्षा गार्ड ) के जैसा ही होगा इसके विपरीत पाये जाने पर मेरी वेतन काटी जा सकती है या सेवा समाप्त भी कि जा सकती है।
16. मैं यह शर्त मंजूर करता हू कि जब तक हमारा वेतन जहां मैं ड्यूटी करता हूँ वहां से पैसा नहीं आ जाता मैं वेतन भुगतान के लिए नहीं कहूँगा। मैं ड्यूटी करने से एवं ड्यूटी के दौरान मदिरापान/किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु का सेवन नहीं करूँगा, यदि मेरे द्वारा इस प्रकार कि चीजों का सेवन करते हुए पाया गया तो मेरी सेवा तुरन्त समाप्त कर दी जाए।
17. मेरे द्वारा उपरोक्त घोषणा को पूर्ण रूप से समझ ली गयी है तथा मैं उपरोक्त शर्तों एवं प्रतिबंधों के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ। यदि मेरे द्वारा उपरोक्त शर्तों एवं प्रतिबंधों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किया जाता है तो उपनल द्वारा किसी पूर्व सूचना के मेरी सेवा तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

ह0 आर.पी.ओ उपनल \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर-----

दिनांक \_\_\_\_\_

नाम व पता